

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, हाथरस।

आदेश सं० ५७ / 2026

दिनांक 21.04.2026

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013 के अनुक्रम में तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 29/2009 एडमिन (जी-1) दिनांकित 30.05.2009 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों के निस्तारण एवं विशाखा एवं अन्य बनाम् स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य (1997) 6 एस0सी0सी0 241 में माननीय एपैक्स कोर्ट द्वारा कार्यस्थल (Work Place) पर यौन उत्पीड़न रोकने सम्बन्धी जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने हेतु समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति की अध्यक्ष श्रीमती चित्रा शर्मा का स्थानान्तरण अन्य जनपद में हो जाने के कारण पूर्व पारित आदेश संख्या 37/2025 दिनांकित 16.06.2025 में आंशिक संशोधन करते हुये हुए निम्न अधिकारीगण की समिति गठित की जाती है :-

नाम अधिकारीगण/पदनाम	पद
1. श्रीमती संगीता शर्मा अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, हाथरस।	अध्यक्षा
2. श्री दीपक नाथ सरस्वती अपर सिविल जज (सी0डि0), हाथरस।	सदस्य
3. सुश्री अनु चौधरी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस।	सदस्या
4. श्रीमती सुमन वार्ण्य, परामर्शदाता, परिवार न्यायालय, हाथरस।	सदस्या

तदनुसार सम्बन्धित को सूचित किया जाये।

Vinay Kumar
(विनय कुमार-III) 21/4/26
जनपद न्यायाधीश,
हाथरस।